इन–सिटु फसल अवशेष/पराली प्रबन्धन कृषि यन्त्र व्यक्तिगत लाभार्थियों को वर्ष 2018–19 में अनुदान पर देने बारे दिशा–निर्देश

स्कीम का नामः ''प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन फॉर इन–सिटु मैनेजमैंट ऑफ क्रॉप रेजिडयू इन दा स्टेटस ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एण्ड एन.सी. टी. ऑफ दिल्ली।''

1) निर्धारित आवेदन पत्र सम्बन्धित उप कृषि निदेशक/सहायक कृषि अभियन्ता के कार्यालय में दिनांक 02–05–2018 से उपलब्ध होंगे (Annexure-X)

2) आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि 15–06–2018 सांय 05:00 बजे तक है।

3) आवेदक किसान उसी जिले का निवासी होना चाहिए। व्यक्तिगत किसान द्वारा फसल अवशेष प्रबन्धन मशीनरी को कृषि मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा सूचिबद्ध कृषि यन्त्र निर्माताओं से खरीदना अनिवार्य है।

4) केवल 8 प्रकार के कृषि अवशेष प्रबन्धन कृषि यन्त्र अनुदान पर लिए जा सकते हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

एग्रीकल्चर मशीनरी के प्रकार
1. कम्बाईन हारवैस्टर के साथ लगाई जाने वाली सुपर स्ट्रा मैनेजमैन्ट सिस्टम (सुपर एस0एम0एस0) ।
2. हैप्पी सीडर ।
3. पैडी स्ट्रा चोपर/सरेडर/मल्चर ।
4. शर्ब मास्टर/कटर कम सपरेडर ।
5. रिवर्सीबल एम बी प्लो ।
6. रोटरी सलेशर ।
7. जीरो टिल ड्रिल ।
8. रोटावेटर

5) एक किसान लाभार्थी अधिकतम 3 विभिन्न प्रकार के कृषि यन्त्र प्रत्येक 1 (क्रं0सं0 4 पर दर्शाई गई सूचि) के लिए अनुदान का पात्र होगा ।

6) प्रत्येक कृषि यन्त्र पर उपलब्ध अनुदान भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए अधिकतम मुल्य का 50 प्रतिशत अथवा भारत सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम अनुदान राशि (जो भी कम हो) देय होगी ।

7) लाभार्थी किसान केवल उसी यन्त्र पर अनुदान हेतु आवेदन कर सकता है जिसे उसने पिछले 5 वर्षों में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग से अनुदान पर नहीं लिया है।

8) आवेदन फार्म साफ रूप से भरे जाने तथा अपेक्षित दस्तावेज (स्वयं सत्यापित) आवेदन फार्म के साथ संलग्न करके सम्बन्धित उप कृषि निदेशक/सहायक कृषि अभियन्ता के कार्यालय में जमा करवाना होगा।

9) प्राप्त आवेदन पत्र की पावती सम्बन्धित कार्यालय द्वारा आवेदक को दी जाएगी।

10) प्राप्त आवेदन पत्रों का लेखा–जोखा सम्बन्धित उप कृषि निदेशक/सहायक कृषि अभियन्ता द्वारा उचित ढ़ंग से रखा जाएगा।

11) लक्ष्यों से अधिक आवेदन आने की दशा में लाभार्थियों का चयन लाटरी द्वारा सम्बन्धित उपायुक्त की अध्यक्षता में किया जाएगा।

12) चयनित लाभार्थियों की सूचि सम्बन्धित जिले के उप कृषि निदेशक/सहायक कृषि अभियन्ता के कार्यालय में दर्शाई जाएगी।

13) लाटरी के 7 दिन के अन्दर सम्बन्धित सहायक कृषि अभियन्ता द्वारा चयनित लाभार्थियों को अनुदान पात्रता प्रमाण पत्र/परमिट जारी किया जाएगा।

14) चयनित किसान अनुदान पात्रता प्रमाण पत्र/परमिट प्राप्त करने उपरान्त 30 दिन के अन्दर कृषि मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित तथा सूचिबद्ध कृषि यन्त्र निर्माताओं से कृषि यन्त्र खरीद कर बिल अनुदान पात्रता प्रमाण पत्र तथा प्रार्थी की मशीन के साथ रंगीन फोटो सम्बन्धित सहायक कृषि अभियन्ता के कार्यालय में जमा करवाएगा।

15) यह सुनिश्चित हो कि खरीदी गई मशीन पर निर्माता कम्पनी द्वारा बिल पर अंकित मशीन क्रमांक, निर्माण वर्ष खुदा हुआ हो । किसी भी प्रकार के प्लेट जो मशीन क्रमांक इत्यादि दर्शाता हो वो अनुदान के लिए वैद्य नहीं होगा ।

16) कार्यालय में लाभार्थी द्वारा बिल जमा करवाने के 15 दिन के अन्दर कमेटी द्वारा जिसमें उप कृषि निदेशक तथा सहायक कृषि अभियन्ता का प्रतिनिधि सम्मिलित है द्वारा खरीदे गए कृषि यन्त्र का भौतिक सत्यापन ब्लॉक स्तर पर किया जाएगा।

17) भौतिक सत्यापन के 10 दिन के अन्दर अनुदान राशि सम्बन्धित किसान लाभार्थी के बैंक खाते में बजट की उपलब्धता अनुसार जमा करवा दी जाएगी।

.....